दिल्ली प्रशासन के अनुसार सरकारी विभागों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की आयोजना तथा आयोजना भिन्न-दोनों ही, योजनाओं के लिए कुल मिलाकर लगभग 1.13 लाख एकड़ भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसमें से 57,000 एकड़ से अधिक भूमि वास्तविक रूप में अधिगृहीत की गई थी तथा दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दी थी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वास्तव में अधिग्रहण की गई भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि से कम है। इसके कारणों में भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध भू-स्वामियों के अभ्यावेदन स्वीकार करना, अधिसूचित क्षेत्रों का निर्मित स्वरूप, न्यायालय आदेश आदि शामिल है।

दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि का उपयोग एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न प्रयोजनार्थ अब तक आवंटित भूमि निम्न प्रकार है :–

	एकड़ में (लगभग)
1. रिहायशी योजनायें	18,417
2. औद्योगिक योजनायें	2,555
3. विकासार्थ	37
4. उद्यान विभाग	7,291
5. मलिन बस्ती तथा झुग्गी-झोंपडी रिहायशी योजनायें . . .	5,766
6. वाणिज्यिक संस्थान, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, निजी अभिकरण .	9,629
7. सहकारी समितियां	4,805
8. शेष	8,578

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पंजाब में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुयें सप्लाई न किया जाना

1159. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1990 के फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस में "सेंटर एपाथी बिहाइन्ड पी०डी०एल० फ़ैलियर इन पंजाब" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में राशनकार्ड धारियों को उनकी आवश्यकतानुसार आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल मिट्टी का तेल और चीनी उपलब्ध कराई जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों में सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की संख्या व मात्रा की तुलना में पंजाब में सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की संख्या व मात्रा में अन्तर क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) राज्यों को आबंटित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की संख्या व मात्रा के बारे में पंजाब के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है । इसी प्रकार यह सच नहीं है कि उक्त राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए केवल मिट्टी के तेल तथा चीनी की सप्लाई की जाती है । केंद्रीय सरकार, सभी राज्यों, जिनमें पंजाब शामिल है, को गेहूं, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल तथा साफ्ट कोक आबंटित करती है । विभिन्न राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के जरिए स्वयं अतिरिक्त मदें वितरित करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, केंद्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की सप्लाई, बाजार में उपलब्ध मात्रा की अनुपूर्ति के लिए होता है और उसका प्रयोजन आबादी की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता है ।

प्राथमिकता के आधार पर आवासीय व्यापारिक स्थलों का आवंटन

1160. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले छः महीनों के दौरान प्राथमिकता के आधार पर आवासीय, व्यापारिक और औद्योगिक भूमि या मकान आबंटित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ग) उनको प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूखण्डों का कोई आबंटन नहीं किया गया है । तथापि, प्राथमिकता आधार पर 1840 फ्लैट उन व्यक्तियों को आबंटित किये गये है, जो सेवानिवृत्त हो गये थे अथवा सेवानिवृत्ति के नजदीक थे ।

(घ) 461 ।

Construction work of Sugar factories

1161. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) how many new sugar factories have been sanctioned in the year 1989-90;

(b) by when the construction works would be started on the above sanctioned sugar factories; and

(c) total estimated cost of each sugar factory?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) to (c) During the year 1989-90 (October-September), 34 Letters of Intent for the establishment of new sugar factories have been issued so far. It takes 3-4 year to establish a new sugar factory after the grant of Letter of Intent/Industrial Licence. Total estimated cost of a sugar factory is around Rs. 27 crores, at present.

Problem villages covered in Andhra Pradesh

1162. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the deails and the number of problem villages in Andhra Pradesh covered under ARWSP during 1989-90; and

(b) the details and number of such villages likely to be covered during 1990-91?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) Out of 2147 problem villages covered with safe drinking water facilities in Andhra Pra-